SDRF दिशा-निर्देश और सहायता के मानक

15वें से 16वें वित्त आयोग तक
कवरेज, निधि निर्गमन, NDMIS और मदवार दरों की तुलना

2021–26 और 2026–31

मुख्य बदलाव एक नज़र में

विषय	15वाँ वित्त आयोग	16वाँ वित्त आयोग
केंद्रीय अधिसूचित आपदाएँ	12 श्रेणियाँ	14; हीटवेव और आकाशीय बिजली शामिल
SDRF में व्यय व्यवस्था	राहत, R&R और P&CB की उप-विंडो	राहत तथा R&R में लचीलापन; P&CB अब SDMF
NDMIS अनुपालन	ऑनलाइन व्यय रिपोर्टिंग	31 मई तक डेटा और सत्यापन; FY 2027–28 से अनुदान की शर्त
NDRF से R&R किस्तें	30% + 40% + 30%	40% + 60%; पूर्व किस्त का 75% उपयोग
NEH राज्य का R&R अंश	ग्रेडेड 10% / 20% / 25%	समान 10%; उत्तराखण्ड को भी लागू
बड़ा अव्ययित SDRF शेष	नई सीमा जैसा प्रावधान नहीं	पिछले 3 वर्षों के कुल आवंटन से अधिक शेष पर रोक संभव

NDMIS, जून–दिसम्बर किस्तें और 15 दिन में राज्यांश का हस्तांतरण पहले भी थे; नई शर्तों को पुराने नियमों से अलग पढ़ें।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

निधियों की संरचना और उपयोग

निधि / गतिविधि	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग
राज्य आपदा निधियाँ	SDRF 80%; SDMF 20%	SDRF 80%; SDMF 20%
प्रतिक्रिया और राहत	कुल SDRMF का 40%	SDRF के 80% हिस्से में राहत और R&R दोनों
Recovery & Reconstruction	कुल SDRMF का 30%	SDRF में अनुमन्य गतिविधियों हेतु लचीलापन
Preparedness & Capacity Building	कुल SDRMF का 10%; SDRF की उप-विंडो	SDMF में स्थानांतरित
SDRF और SDMF में अदला-बदली	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं; अलग वैधानिक निधियाँ

15वें आयोग के 40/30/10 प्रतिशत कुल SDRMF के हैं; केवल SDRF में इनके अनुपात 50/37.5/12.5 प्रतिशत थे।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

16वें आयोग में कवर 14 आपदाएँ

1. हिमस्खलन
2. बादल फटना
3. चक्रवात
4. सूखा
5. भूकम्प
6. अग्निकांड
7. बाढ़
8. पाला और शीतलहर
9. ओलावृष्टि
10. **हीटवेव**
11. भूस्खलन
12. **आकाशीय बिजली**
13. कीट प्रकोप
14. सुनामी

हीटवेव और आकाशीय बिजली नई केंद्रीय श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक घटना में अनुमन्य मद और मानक फिर भी लागू होंगे।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

राज्य-अधिसूचित स्थानीय आपदाओं में राहत

वार्षिक SDRF आवंटन का अधिकतम 10%

01 तत्काल राहत के लिए स्थानीय प्राकृतिक आपदा, जो केंद्रीय सूची में नहीं है।

02 SEC की स्वीकृति से आपदा सूची, पारदर्शी मानक और लाभार्थी पहचान प्रक्रिया अधिसूचित हों।

03 व्यय केवल SDRF से; इस श्रेणी में NDRF सहायता नहीं।

04 मदवार राहत दर SDRF मानकों से अधिक नहीं; सीमा से अधिक व्यय राज्य के अपने संसाधनों से।

05 2026–27 उत्तराखण्ड SDRF आवंटन ₹797 करोड़ होने पर 10% की गणितीय सीमा ₹79.70 करोड़ है।

यह अधिकतम सीमा है; स्वतः स्वीकृति या किसी स्थानीय आपदा की स्वतः अधिसूचना नहीं।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रावधान

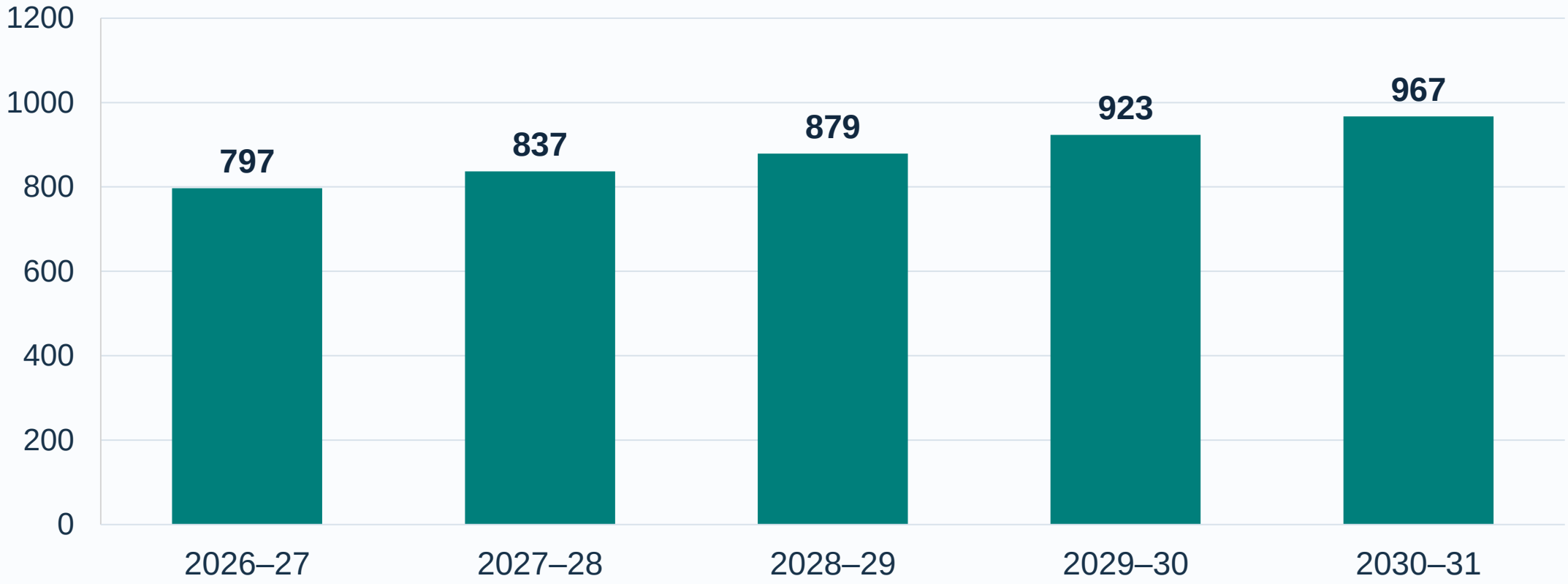
विवरण	16वें आयोग का प्रावधान	अर्थ
राज्यों की कुल आपदा निधियाँ	₹2,04,401 करोड़	FY 2026–27 से FY 2030–31
SDRF	₹1,63,521 करोड़	कुल राज्य आवंटन का 80%
SDMF	₹40,880 करोड़	कुल राज्य आवंटन का 20%; P&CB सहित
राष्ट्रीय निधियों का कुल कोष	₹79,406 करोड़	NDRF तथा NDMF का संयुक्त कोष
राष्ट्रीय विभाजन	NDRF 75%; NDMF अधिकतम 25%	परिचालन दिशा-निर्देश में निर्धारित
केंद्र : राज्य योगदान	सामान्य 75:25; NEH 90:10	उत्तराखण्ड के लिए 90:10 जारी

₹79,406 करोड़ को पूरा NDRF आवंटन न मानें; यह राष्ट्रीय निधियों का संयुक्त कोष है।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

उत्तराखण्ड का SDRF आवंटन 2026–31

₹ करोड़; केंद्र और राज्यांश सहित



पाँच-वर्षीय कुल ₹4,403 करोड़; केंद्रांश ₹3,962.70 करोड़ और राज्यांश ₹440.30 करोड़। यह आवंटन है, वास्तविक निर्गमन नहीं।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

SDRF किस्तें और समयबद्ध हस्तांतरण

प्रावधान	पहले	अब
वार्षिक केंद्रीय किस्तें	जून और दिसम्बर	जून और दिसम्बर; जारी
आपदा में अग्रिम निर्गमन	वर्तमान वर्ष की किस्त पहले मिल सकती थी	MHA की अनुशंसा से पहले निर्गमन संभव
अगले वर्ष का अग्रिम	अगले वर्ष के केंद्रीय हिस्से का अधिकतम 25%	अधिकतम 25%; अगली किस्तों में समायोजन
Public Account में जमा	केंद्रांश और मैचिंग राज्यांश 15 दिन में	15 दिन; देरी पर RBI Bank Rate से ब्याज
निर्गमन प्राधिकारी	MHA अनुशंसा; व्यय विभाग निर्गमन	व्यवस्था जारी

SDRF की नियमित केंद्रीय किस्त और किसी स्वीकृत NDRF R&R परियोजना की किस्त अलग प्रक्रियाएँ हैं।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

प्रथम किस्त और आगे की निर्गमन शर्तें

लेखांकन, PFMS और सत्यापित डेटा पर निर्गमन निर्भर

01 FY 2026–27: SDRF की वैधानिक स्थापना और निर्धारित लेखांकन व्यवस्था लागू रहने का स्व-प्रमाणन।

02 SEC के गठन की अधिसूचना लागू हो; प्रति MHA को उपलब्ध हो।

03 FY 2026–27 से State Treasury का PFMS से एकीकरण निर्गमन की शर्त।

04 अप्रैल और अक्टूबर में जमा केंद्रांश, राज्यांश, अद्यतन व्यय और शेष का प्रमाणन NDMIS पर।

05 शेष राशि पिछले तीन वर्षों के कुल वार्षिक SDRF आवंटन से अधिक हो तो आगे का निर्गमन अस्थायी रूप से रुक सकता है।

सीमा से नीचे शेष होने पर रोकी राशि जारी हो सकती है; असाधारण मामलों में कारण सहित HLC छूट पर विचार कर सकता है।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

वार्षिक अनुपालन कैलेंडर

समय	आवश्यक कार्य	किस्त पर प्रभाव
अप्रैल	पूर्व निर्गमन के जमा, राज्यांश, व्यय और शेष का प्रमाणन	जून किस्त हेतु अभिलेख तैयार
31 मई	पिछले वित्त वर्ष का NDMIS डेटा भरना और सत्यापन पूरा	FY 2027–28 से अनुदान प्राप्ति की शर्त
जून	पहली केंद्रीय किस्त; मैचिंग राज्यांश जमा	प्राप्ति से 15 दिन में Public Account हस्तांतरण
सितम्बर	Annual Report on Natural Calamities, NDMIS से	दिसम्बर की केंद्रीय किस्त की शर्त
अक्टूबर	अद्यतन व्यय, शेष और जमा का प्रमाणन	दिसम्बर निर्गमन हेतु अनुपालन
दिसम्बर	दूसरी किस्त; मैचिंग राज्यांश जमा	प्राप्ति से 15 दिन; देरी पर ब्याज

FY 2026–27 के डेटा का सत्यापन 31 मई 2027 तक आवश्यक होगा; यह नई डेटा-सम्बद्ध शर्त का पहला अनुपालन वर्ष है।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

NDMIS अब निर्गमन से जुड़ी अनिवार्यता

31 मई 2027

01 SDRF की सभी प्राप्तियाँ और व्यय, अतिरिक्त NDRF सहायता सहित, NDMIS पर ऑनलाइन दर्ज हों।

02 लेनदेन-स्तर, आपदा-वार और मदवार डेटा से निधि की उपलब्धता तथा उपयोग की निगरानी।

03 पिछले वित्त वर्ष का डेटा और सत्यापन अगले वर्ष 31 मई तक पूरा हो।

04 FY 2027–28 से Disaster Management Grant के लिए यह आवश्यक शर्त है।

05 R&R प्रस्ताव, UC, deliverables और बाद की किस्तों हेतु geo-tagged फोटो भी पोर्टल से जुड़े हैं।

NDMIS पहले भी था; नई बात व्यापक डेटा, validation deadline और अनुदान से स्पष्ट संबंध है।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

NDMIS पर किन अभिलेखों का मिलान होगा

डेटा समूह	मुख्य प्रविष्टियाँ
प्राप्तियाँ	Opening balance, केंद्रांश, राज्यांश, NDRF सहायता और जमा की तिथियाँ
अन्य आवक	विलम्ब का ब्याज, निवेश से आय और अन्य अनुमन्य जमा
व्यय	आपदा, मद, विभाग/जनपद और संबंधित स्वीकृति के अनुसार वास्तविक व्यय
पुनर्निर्माण	Asset category, योजना, संख्या, दर, लाभार्थी विवरण और geo-tagged site photos
स्थिति और उपयोग	UC, deliverables, उपलब्ध शेष तथा निवेश की स्थिति
Finance Accounts	MH 2245 का व्यय तथा MH 8121 का SDRF शेष

विभाग को अवमुक्त राशि और वास्तविक अंतिम व्यय अलग पहचानें; एक ही NDRF व्यय को SDRF कुल में दो बार न जोड़ें।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

मद-मानकों के अधीन सहायता का आकलन

Assessment of Assistance under Items and Norms of Expenditure

01 SEC अनुमोदित मदों में आवश्यक सहायता का आकलन करेगा।

02 तत्काल राहत और बहाली: अधिसूचित पात्रता, वास्तविक क्षति, इकाई और सहायता दर लागू करें।

03 अन्य R&R: क्षतिग्रस्त सार्वजनिक/सामुदायिक अवसंरचना का आकलन कर पुनर्निर्माण योजना बने।

04 पीड़ितों को भुगतान तत्काल और अधिमानतः 15 दिन से देर नहीं; R&R योजना 3 महीने में बने।

05 मानक से अधिक राशि राज्य अपने संसाधनों से देगा; SDRF को किसी योजना का राज्यांश नहीं बनाया जा सकता।

पात्रता, मात्रा, क्षति-श्रेणी, दर और पूर्व सहायता की जाँच के बाद ही अनुमन्य मांग तय होगी।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

सहायता गणना के उदाहरण

उदाहरण	गणना	अनुमन्य राशि
दो पात्र मृतक	2 × ₹8 लाख	₹16 लाख
5 स्कूलों की तत्काल मरम्मत	प्रति स्कूल वास्तविक ₹2.10 लाख; सीमा ₹2.60 लाख	5 × ₹2.10 = ₹10.50 लाख
एक प्राथमिक स्कूल का R&R	मानक ₹15.50 लाख; SOR ₹14 लाख; पूर्व राहत ₹2.60 लाख	₹14.00 − ₹2.60 = ₹11.40 लाख

ये प्रशिक्षण हेतु काल्पनिक उदाहरण हैं। वास्तविक स्वीकृति संबंधित पात्रता, सक्षम प्राधिकारी, SOR और पूर्व सहायता के मिलान पर निर्भर है।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

NDRF सहायता की प्रक्रिया और समय

चरण	प्रतिक्रिया और राहत	Recovery & Reconstruction
राज्य की प्रारम्भिक जिम्मेदारी	पहला दायित्व SDRF पर	पहले SDRF से वित्तपोषित परियोजनाएँ चिन्हित
Memorandum	आपदा शुरू होने से 2 महीने के भीतर	SEC स्वीकृति सहित घटना से 4 महीने के भीतर
प्रेषण माध्यम	NDMIS; मदवार क्षति और अतिरिक्त आवश्यकता	NDMIS; परियोजना, लागत, asset और geo-tagged विवरण
आकलन	IMCT का स्थलीय आकलन	उसी IMCT द्वारा R&R का आकलन; तकनीकी सत्यापन संभव
अनुमोदन	SC-NEC की अनुशंसा; HLC निर्णय	NDMA/नोडल मंत्रालय की टिप्पणियाँ; SC-NEC; HLC

केवल गंभीर प्रकृति की आपदा में अतिरिक्त सहायता; पर्याप्त SDRF उपलब्ध हो तो पहले उसके उपयोग की अपेक्षा।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

NDRF R&R में लागत-साझेदारी

स्वीकृत केंद्रीय सहायता	15वें आयोग की R&R व्यवस्था	16वाँ सामान्य / NEH राज्य
₹250 करोड़ तक	राज्यांश 10%	10% / 10%
₹250 करोड़ से अधिक, ₹500 करोड़ तक	राज्यांश 20%	20% / 10%
₹500 करोड़ से अधिक	राज्यांश 25%	25% / 10%
उत्तराखण्ड का परिणाम	राशि के अनुसार ग्रेडेड राज्यांश	हर स्तर पर 10% NEH राज्यांश

यह अतिरिक्त NDRF R&R सहायता की लागत-साझेदारी है; SDRF का नियमित केंद्र:राज्य 90:10 अनुपात अलग प्रावधान है।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

NDRF R&R किस्तों में बदलाव

विषय	2024 R&R नियम	2026 परिचालन नियम
स्वीकृत राशि का निर्गमन	तीन किस्तें: 30%, 40%, 30%	दो किस्तें: 40%, 60%
अगली किस्त की उपयोग शर्त	पिछली जारी राशि का 75% उपयोग	पिछली किस्त का 75% उपयोग
प्रमाणन	Deliverables और Utilisation Certificates	Deliverables और UC, NDMIS के माध्यम से
स्थलीय साक्ष्य	परियोजना पर्यवेक्षण / आकलन	बाद की किस्त हेतु geo-tagged work photos अपलोड
राज्य खाते में हस्तांतरण	निर्धारित NDRF लेखांकन प्रक्रिया	15 दिन; देरी पर RBI Bank Rate से ब्याज

40% की पहली किस्त का 75% उपयोग = कुल स्वीकृत राशि का 30%; दूसरी 60% किस्त हेतु अन्य शर्तें भी पूरी हों।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

समय-सीमाएँ और R&R की वित्तीय सीमा

प्रावधान	लागू सीमा / समय
SDRF R&R योजना	आपदा के आरम्भ से 3 महीने; NDRF R&R memorandum 4 महीने में
SDRF नियोजित गतिविधियाँ	आपदा की तिथि से 3 वर्ष में पूर्ण
NDRF R&R की स्वीकृत गतिविधियाँ	केंद्र की स्वीकृति से 3 वर्ष में पूर्ण
NDRF R&R: सामान्य राज्यों का केंद्रीय भाग	Award period के केंद्रीय SDRF हिस्से से अधिक नहीं
NDRF R&R: NEH राज्यों का केंद्रीय भाग	Award period के केंद्रीय SDRF हिस्से के दो गुने तक
लागत बढ़ोतरी / अंतिम देयता	बढ़ोतरी राज्य वहन करे; 31.03.2031 के आगे NDRF देयता नहीं

2024 में R&R प्रस्ताव अधिमानतः 3 महीने में था; अब NDRF memorandum 4 महीने में। SDRF/NDRF की 3-वर्षीय अवधि का प्रारम्भ अलग है; HLC विशेष सीमा-छूट दे सकता है।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

व्यय-सीमा में प्रतिशत का आधार बदला

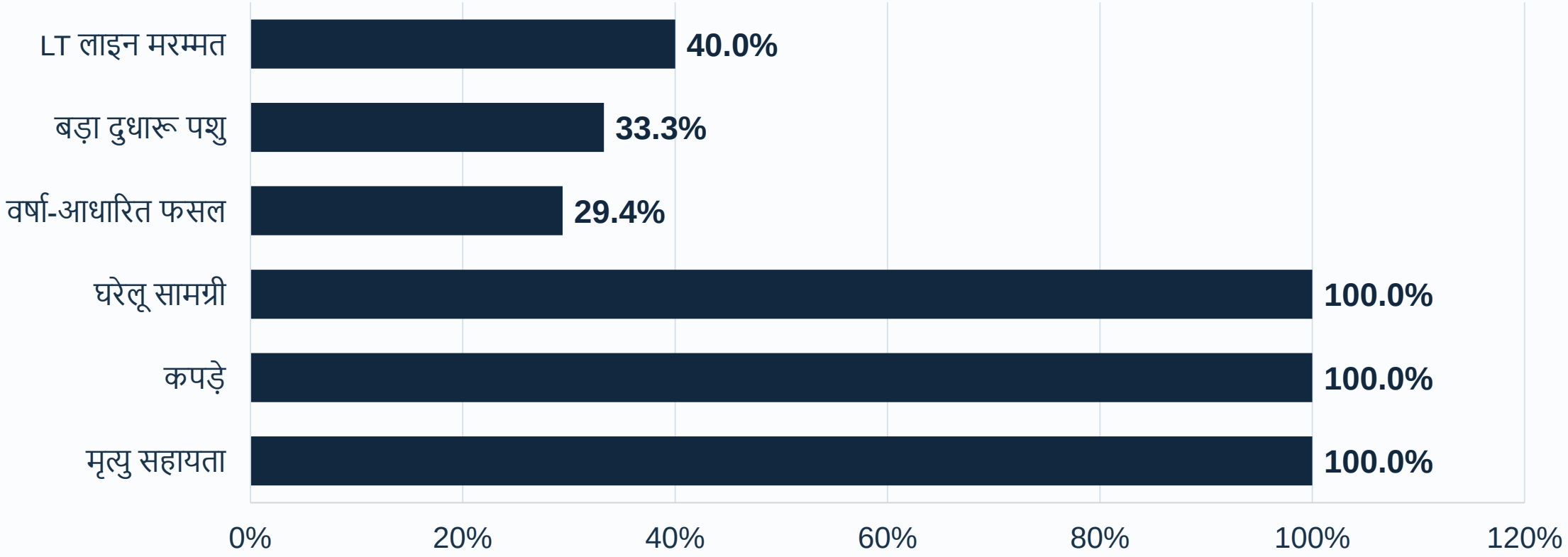
मद	15वें आयोग का आधार	16वें आयोग का आधार
GR, राहत शिविर, पानी, पशु शिविर, टिड्डी नियंत्रण	संबंधित मद हेतु राहत विंडो का 30%	संबंधित मद हेतु वार्षिक SDRF का 25%
सूखे में GR	राहत विंडो का 50%	वार्षिक SDRF का 50%
R&R सड़क एवं परिवहन	R&R विंडो का 50%	सामान्य: SDRF 50%; NEH: SDRF 100%
राज्य-विशिष्ट स्थानीय आपदाएँ	संबंधित विंडो का 10%	वार्षिक SDRF आवंटन का 10%

उदाहरण: पुराने राहत आवंटन 50% SDRF पर 30% सीमा = 15% कुल SDRF। नया 25% कुल SDRF है; इसे 30% से कमी न समझें।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

कुछ प्रमुख दरों में वृद्धि

15वें आयोग की प्रचलित संशोधित दर के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि



यह चुनी हुई मदों की तुलना है; सभी मदों का एक समान वृद्धि प्रतिशत नहीं है।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

अनुग्रह सहायता और गंभीर चोट

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
मृत्यु: प्रति मृतक	₹400,000	₹800,000	+100%
40–60% दिव्यांगता: प्रति व्यक्ति	₹74,000	₹94,000	+27%
60% से अधिक दिव्यांगता	₹250,000	₹320,000	+28%
अस्पताल में एक सप्ताह से अधिक	₹16,000	₹20,500	+28.1%
अस्पताल में एक सप्ताह से कम	₹5,400	₹7,000	+29.6%

सरकारी चिकित्सा प्रमाणन आवश्यक। नई चोट मद में हीट-स्ट्रोक भी स्पष्ट शामिल; Ayushman Bharat में उपचार पाने वाले इस मद में पात्र नहीं।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

कपड़े, घरेलू सामग्री और आजीविका राहत

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
कपड़ों की हानि: प्रति परिवार	₹2,500	₹5,000	+100%
बर्तन / घरेलू सामग्री: प्रति परिवार	₹2,500	₹5,000	+100%

GR: प्रभावित परिवार के 2 वयस्क; लागू अधिसूचित दैनिक ग्रामीण रोजगार दर या राज्यों/UT का औसत, जो कम हो। सामान्य अवधि 30 दिन; 60 दिन तक विस्तार; सूखा/कीट प्रकोप में 90 दिन। शिविर में रह रहे लाभार्थी को उसी अवधि का GR नहीं।

दो दिन से अधिक गंभीर जलभराव/बह गये/पूर्ण क्षतिग्रस्त घरों के पात्र परिवार। Hygiene, dignity kit और basic school stationery का उल्लेख नया है।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

खोज, बचाव और निकासी

मद	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग
खोज-बचाव / निकासी	वास्तविक लागत; SEC/केंद्रीय टीम आकलन	वास्तविक या near-actual लागत; आकलन जारी
नाव और आवश्यक उपकरण किराया	जीवन बचाने हेतु वास्तविक किराया	वास्तविक किराया; खरीद की सामान्य अनुमति नहीं
IAF से rescue / आवश्यक सामग्री गिराना	रक्षा मंत्रालय के वास्तविक बिल	IAF/रक्षा मंत्रालय के वास्तविक बिल

स्थान, अवधि, उपयोग का उद्देश्य और मदवार बिल उपलब्ध हों; NDRF मांग हेतु IMCT को व्यय का आधार दें।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

राहत शिविर और आपात पेयजल

मद	समय / लागत	नई व्यय सीमा
अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, gen-set आदि	वास्तविक लागत; सामान्य 30 दिन; व्यापक आपदा/सूखे में 60 दिन	वार्षिक SDRF का 25%
आपात पेयजल आपूर्ति	वास्तविक लागत; 30 दिन; सूखे में 90 दिन तक	वार्षिक SDRF का 25%
अवधि का अतिरिक्त विस्तार	स्थिति देखकर SEC विस्तार कर सकता है	मदवार वित्तीय सीमा बनी रहेगी
शिविर चिकित्सा देखभाल	National Health Mission से प्रावधान	शिविर संख्या, अवधि और लोगों का रिकॉर्ड

पुराने मानक में संबंधित राहत विंडो का 30% था; नई सीमा वार्षिक कुल SDRF पर 25% है।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

मलबा, बाढ़ के पानी और शवों का निस्तारण

मद	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग
सार्वजनिक स्थानों से मलबा हटाना	वास्तविक लागत; काम शुरू होने से 30 दिन तक	समान आधार; SEC/IMCT आकलन
प्रभावित क्षेत्र से बाढ़ का पानी निकालना	वास्तविक लागत; काम शुरू होने से 30 दिन	समान आधार; स्थान और खर्च का रिकॉर्ड
शव / पशु शव का निस्तारण	वास्तविक लागत और आकलन	समान आधार; SEC तथा NDRF में केंद्रीय टीम

इन मदों की कोई एक समान प्रति इकाई दर नहीं है। वास्तविक व्यय की पात्रता और साक्ष्य जाँचना आवश्यक है।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

कृषि भूमि और अन्य भूमि-क्षति

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
कृषि भूमि से गाद हटाना: प्रति ha	₹18,000	₹23,000	+27.8%
पहाड़ी कृषि भूमि से मलबा: प्रति ha	₹18,000	₹23,000	+27.8%
Fish farm की गाद/बहाली: प्रति ha	₹18,000	₹23,000	+27.8%
भूस्खलन/नदी-मार्ग बदलने से भूमि हानि: प्रति ha	₹47,000	₹60,000	+27.7%

पहली 3 मदों का न्यूनतम प्रति किसान ₹2,200 से ₹2,800; भूमि हानि का न्यूनतम ₹5,000 से ₹6,500। लघु/सीमांत किसान और वैध भू-अभिलेख लागू।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

फसल और रेशम उत्पादन की इनपुट सहायता

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
वर्षा-आधारित फसल: प्रति ha	₹8,500	₹11,000	+29.4%
सुनिश्चित सिंचाई: प्रति ha	₹17,000	₹22,000	+29.4%
बहुवर्षीय / agro-forestry: प्रति ha	₹22,500	₹30,000	+33.3%
Eri / Mulberry / Tussar: प्रति ha	₹6,000	₹7,800	+30%
Muga: प्रति ha	₹7,500	₹9,800	+30.7%

33% या अधिक फसल हानि; बोये गये क्षेत्र तक सहायता। बड़े किसान के लिए भी सहायता की सीमा 2 ha प्रति किसान है।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

फसल सहायता की पात्रता और न्यूनतम राशि

मानक	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग
वर्षा-आधारित: न्यूनतम प्रति किसान	₹1,000	₹1,500
सिंचित: न्यूनतम प्रति किसान	₹2,000	₹2,600
बहुवर्षीय: न्यूनतम प्रति किसान	₹2,500	₹3,200
रेशम: न्यूनतम प्रति किसान	₹1,000	₹1,500
2 ha से अधिक जोत वाले किसान	दरें समान; अधिकतम 2 ha	₹11,000 / ₹22,000 / ₹30,000 प्रति ha; अधिकतम 2 ha
PMFBY दावा समायोजन	11.07.2023 में समायोजन प्रावधान हटाया गया	इसे केवल 2026 का नया बदलाव न बताएं

2026 बड़े किसान वाली पंक्ति में ₹30,000 की फसल-श्रेणी का पाठ दोहरावयुक्त है; बहुवर्षीय मद 5(i)(B)(b) के साथ पढ़ें।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

पशुधन हानि और कुक्कुट सहायता

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
बड़ा दुधारू पशु: प्रति पशु	₹37,500	₹50,000	+33.3%
भेड़ / बकरी / सूअर: प्रति पशु	₹4,000	₹5,100	+27.5%
ऊँट / घोड़ा / बैल आदि: प्रति पशु	₹32,000	₹41,000	+28.1%
बछड़ा / गधा / pony / mule / heifer	₹20,000	₹25,000	+25%
Poultry / duckery: प्रति पक्षी	₹100	₹130	+30%
Poultry: प्रति परिवार अधिकतम	₹10,000	₹13,000	+30%

प्रति परिवार सीमा: 3 बड़े/30 छोटे दुधारू अथवा 3 बड़े/6 छोटे भारवाही पशु; स्थानीय/नामित प्राधिकारी में संख्या और प्रकार पंजीकृत हों।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

पशु शिविर में चारा और देखभाल

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
बड़ा पशु: प्रति दिन	₹80	₹100	+25%
छोटा पशु: प्रति दिन	₹45	₹60	+33.3%

शिविर से बाहर चारे के परिवहन की सहायता वास्तविक परिवहन लागत पर, SEC/केंद्रीय टीम के आवश्यकता आकलन के अनुसार; पशुगणना और आपदा-संबंधी चिकित्सा प्रमाणन का मिलान।

अधिकृत गौशाला को अतिरिक्त पात्र पशुओं के लिए reimbursement; सामान्य 30 दिन, 60 दिन विस्तार, गंभीर सूखे में 90 दिन; नई सीमा कुल SDRF का 25%।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

मत्स्य क्षेत्र की तत्काल सहायता

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
आंशिक क्षतिग्रस्त नाव की मरम्मत	₹6,000	₹8,000	+33.3%
आंशिक क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत	₹3,000	₹4,000	+33.3%
पूरी तरह क्षतिग्रस्त नाव बदलना	₹15,000	₹19,000	+26.7%
पूरी तरह क्षतिग्रस्त जाल बदलना	₹4,000	₹5,100	+27.5%
Fish-seed farm इनपुट: प्रति ha	₹10,000	₹13,000	+30%

पात्र non-mechanised boat; उसी आपदा के लिए अन्य सरकारी सहायता का दोहराव नहीं। नाव/जाल सहायता में संबंधित बीमा दावे का समायोजन।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

कारीगर सहायता और टिड्डी नियंत्रण

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
मुख्य औजार / उपकरण: प्रति कारीगर	₹5,000	₹6,500	+30%
कच्चा / अधबना / तैयार माल: प्रति कारीगर	₹5,000	₹6,500	+30%

टिड्डी नियंत्रण: वाहन/ट्रैक्टर-स्प्रे उपकरण/टैंकर किराया और पौध-सुरक्षा रसायन की वास्तविक लागत। पुरानी सीमा राहत विंडो का 30%; नई सीमा वार्षिक SDRF का 25%।

कारीगर के नुकसान का सक्षम अधिकारी से प्रमाणन आवश्यक।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

आवास की तत्काल मानवीय सहायता

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
पूर्ण / गंभीर क्षति: मैदानी, प्रति घर	₹120,000	₹160,000	+33.3%
पूर्ण / गंभीर क्षति: पहाड़ी, प्रति घर	₹130,000	₹170,000	+30.8%
आंशिक क्षति: पक्का घर	₹6,500	₹8,500	+30.8%
आंशिक क्षति: कच्चा घर	₹4,000	₹5,500	+37.5%
क्षतिग्रस्त / नष्ट झोपड़ी	₹8,000	₹10,500	+31.2%
घर से जुड़ी पशुशाला	₹3,000	₹4,000	+33.3%

अधिकृत निर्माण का प्रमाणन आवश्यक। पुराने आंशिक घर मानक में ≥15% क्षति थी; नई तालिका प्रतिशत पुनः स्पष्ट नहीं करती। R&R आवास दरों से इसे अलग रखें।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

सड़क-पुल की तत्काल मरम्मत

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
SH / MDR: मैदान, प्रति km	₹100,000	₹130,000	+30%
SH / MDR: पहाड़, प्रति km	₹125,000	₹160,000	+28%
ग्रामीण / village / ODR: मैदान, प्रति km	₹60,000	₹80,000	+33.3%
ग्रामीण / village / ODR: पहाड़, प्रति km	₹75,000	₹100,000	+33.3%
RCC culvert / bridge: मैदान, प्रति इकाई	₹60,000	₹80,000	+33.3%
RCC culvert / bridge: पहाड़, प्रति इकाई	₹75,000	₹100,000	+33.3%

OR/PR और अधिसूचित मरम्मत दरें देखें; मानक तथा अनुमन्य कम दर लागू। उद्देश्य तत्काल सम्पर्क बहाल करना है, पूर्ण पुनर्निर्माण नहीं।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

पेयजल और लघु सिंचाई की तत्काल बहाली

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना: प्रति योजना सीमा	₹200,000	₹260,000	+30%
सामुदायिक पेयजल कुआँ सफाई: प्रति कुआँ	₹10,000	₹12,700	+27%
लघु सिंचाई योजना/नहर: प्रति योजना सीमा	₹200,000	₹260,000	+30%

लघु सिंचाई में State SOR; SOR न हो तो वास्तविक लागत पर सीमा। किसी भी स्थिति में कम अनुमन्य दर। लघु तटबंध की बहाली समान ग्रामीण सड़क दर से; दोहरी सहायता नहीं।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

विद्युत आपूर्ति की तत्काल बहाली

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
क्षतिग्रस्त खम्भा: प्रति pole	₹5,000	₹6,500	+30%
क्षतिग्रस्त LT लाइन: प्रति km	₹50,000	₹70,000	+40%
Distribution transformer बदलना: प्रति इकाई	₹100,000	₹130,000	+30%

तत्काल बहाली में 11 kV तक और bare-conductor LT lines का दायरा। पुनः उपयोग योग्य सामान पर सहायता नहीं। 22/33 kV switchgear की नई R&R मद अलग है।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

स्कूल, स्वास्थ्य और पंचायत परिसम्पत्तियाँ

राशि रुपये में; सहायता संबंधित पात्रता एवं सीमा के अधीन

मद / इकाई	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग	वृद्धि
स्कूल की तत्काल मरम्मत: प्रति भवन सीमा	₹200,000	₹260,000	+30%
PHC / CHC की तत्काल मरम्मत: प्रति इकाई	₹200,000	₹260,000	+30%
पंचायत सामुदायिक परिसम्पत्ति: प्रति इकाई	₹250,000	₹320,000	+28%

वास्तविक व्यय, अधिकतम सीमा के अधीन। महिला मंडल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, community hall और आंगनवाड़ी जैसी परिसम्पत्तियाँ शामिल।

MHA 11.07.2023 और 26.10.2026; पृष्ठ-संदर्भ Notes में

R&R दरें किस आधार पर लागू होंगी

अगली तालिकाओं में “पूर्ण / गंभीर” और ₹ लाख की इकाई

01 Annexure-II तत्काल मानवीय जरूरत के अतिरिक्त सार्वजनिक/स्थानीय निकाय की सामुदायिक अवसंरचना पर केंद्रित है।

02 पूर्ण क्षति: 70% से अधिक; गंभीर क्षति: 30% से अधिक से 70% तक। IMCT स्थलीय आकलन में श्रेणी तय करे।

03 अनुमन्य सहायता = निर्धारित मद-मानक और State SOR अनुमान में जो कम हो।

04 पहले दी गयी राहत/बहाली सहायता समायोजित हो; उसी परिसम्पत्ति पर दोहरा भुगतान नहीं।

05 स्वीकृत स्थल, लागू bye-laws और NDMIS पर संख्या, स्थान एवं geo-tagged क्षति-साक्ष्य आवश्यक।

तालिका में गंभीर क्षति की दर सामान्यतः पूर्ण दर का 50% है; जहाँ मुद्रित दर भिन्न है उसे यथावत दिखाया गया है।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

R&R आवास की दरें

राशि ₹ लाख में; प्रत्येक सेल में पूर्ण क्षति / गंभीर क्षति

मद / इकाई	15वाँ पूर्ण / गंभीर	16वाँ पूर्ण / गंभीर	पूर्ण दर में बदलाव
मैदानी आवास: प्रति घर	1.80 / 0.90	1.85 / 0.93	+2.8%
पहाड़ी आवास: प्रति घर	2.00 / 1.00	2.06 / 1.03	+3%

नई तत्काल आवास सहायता ₹1.60/₹1.70 लाख और R&R ₹1.85/₹2.06 लाख का स्वतः जोड़ नहीं होगा; पहले की सहायता समायोजित करें।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

R&R शिक्षा और सामुदायिक भवन

राशि ₹ लाख में; प्रत्येक सेल में पूर्ण क्षति / गंभीर क्षति

मद / इकाई	15वाँ पूर्ण / गंभीर	16वाँ पूर्ण / गंभीर	पूर्ण दर में बदलाव
प्राथमिक विद्यालय: प्रति भवन	15.00 / 7.50	15.50 / 7.75	+3.3%
माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक	25.00 / 12.50	26.00 / 13.00	+4%
ITI / polytechnic / college	—	26.00 / 13.00	स्पष्ट नया कवरेज
आंगनवाड़ी	6.00 / 3.00	6.20 / 3.10	+3.3%
ग्राम पंचायत	10.00 / 5.00	10.30 / 5.15	+3%

2024 तालिका में ग्राम पंचायत / पटवारखाना आदि था; नई तालिका में ग्राम पंचायत लिखा है। सामान्य विभागीय कार्यालय स्वतः पात्र नहीं होते।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

R&R स्वास्थ्य अवसंरचना

राशि ₹ लाख में; प्रत्येक सेल में पूर्ण क्षति / गंभीर क्षति

मद / इकाई	15वाँ पूर्ण / गंभीर	16वाँ पूर्ण / गंभीर	पूर्ण दर में बदलाव
Sub-centre: मैदान	18.40 / 9.20	19.00 / 9.50	+3.3%
Sub-centre: पहाड़	15.81 / 7.91	16.50 / 8.25	+4.4%
PHC: मैदान	41.97 / 20.99	43.00 / 21.50	+2.5%
PHC: पहाड़	49.45 / 24.72	51.00 / 25.50	+3.1%
CHC: मैदान	158.12 / 79.06	163.00 / 81.50	+3.1%
CHC: पहाड़	185.72 / 92.86	191.00 / 95.50	+2.8%

नई पशु-चिकित्सा अस्पताल मद अलग: पूर्ण ₹15.00 लाख और गंभीर ₹8.00 लाख; पुराने Annexure-II में अलग सूचीबद्ध मद नहीं थी।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

R&R सड़क एवं परिवहन

राशि ₹ लाख में; प्रत्येक सेल में पूर्ण क्षति / गंभीर क्षति

मद / इकाई	15वाँ पूर्ण / गंभीर	16वाँ पूर्ण / गंभीर	पूर्ण दर में बदलाव
MDR: मैदान, प्रति km	64.00 / 32.00	66.00 / 33.00	+3.1%
MDR: पहाड़, प्रति km	187.75 / 93.75	193.00 / 96.50	+2.8%
ODR: मैदान, प्रति km	54.50 / 26.75	56.30 / 28.00	+3.3%
ODR: पहाड़, प्रति km	159.88 / 80.00	165.00 / 82.50	+3.2%
Village road: मैदान, प्रति km	36.75 / 18.25	38.00 / 19.00	+3.4%
Village road: पहाड़, प्रति km	133.75 / 67.00	138.00 / 69.00	+3.2%

पुरानी और नई गंभीर क्षति की मुद्रित दरें यथावत हैं; इन्हें मनमाने ढंग से पूर्ण दर के ठीक आधे में न बदलें।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

R&R पुल, तटबंध और box culvert

₹ लाख; दोनों क्षति-श्रेणियाँ और मूल दस्तावेज़ की इकाइयाँ यथावत

मद	15वाँ पूर्ण / गंभीर	16वाँ पूर्ण / गंभीर	परिवर्तन
पुल	3,500 / 1,750 प्रति पुल	3,600 / 1,800 प्रति km	इकाई अलग लिखी है
तटबंध: प्रति km	100.00 / 50.00	103.00 / 51.50	+3% पूर्ण दर
Box culvert	10.00 / —	10.30 / —	+3% पूर्ण दर

पुल की पुरानी इकाई “per number” और नई “KM” है; समान इकाई की पुष्टि के बिना प्रतिशत/कुल मांग की सीधी तुलना न करें। Box culvert की लागू मीटर-आधारित शर्त भी जाँचें।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

R&R पेयजल अवसंरचना

राशि ₹ लाख में; प्रत्येक सेल में पूर्ण क्षति / गंभीर क्षति

मद / इकाई	15वाँ पूर्ण / गंभीर	16वाँ पूर्ण / गंभीर	पूर्ण दर में बदलाव
Water filtration plant: प्रति इकाई	0.50 / 0.25	0.52 / 0.26	+4%
Storage tank: प्रति इकाई	15.00 / 7.50	15.50 / 7.75	+3.3%
Equipment / machinery: प्रति इकाई	1.00 / 0.50	1.05 / 0.53	+5%
Intake pipeline: प्रति metre	0.01 / 0.01	0.01 / 0.01	+0%
Distribution pipeline: प्रति metre	0.01 / 0.01	0.01 / 0.01	+0%

₹0.01 लाख प्रति metre = ₹1,000 प्रति metre। पाइपलाइन की मुद्रित दर दोनों क्षति-श्रेणियों में अपरिवर्तित है।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

R&R स्वच्छता अवसंरचना

राशि ₹ लाख में; प्रत्येक सेल में पूर्ण क्षति / गंभीर क्षति

मद / इकाई	15वाँ पूर्ण / गंभीर	16वाँ पूर्ण / गंभीर	पूर्ण दर में बदलाव
Decentralised STP: ≤5,000 लोग	7.00 / 3.50	7.20 / 3.60	+2.9%
Decentralised STP: >5,000 लोग	33.00 / 16.50	34.00 / 17.00	+3%
Sewer line: प्रति metre	0.01 / 0.01	0.01 / 0.01	+0%
सामुदायिक शौचालय: प्रति इकाई	3.00 / 1.50	3.10 / 1.55	+3.3%

पाइप/सीवर की ₹0.01 लाख की इकाई को ₹0.01 या ₹10,000 प्रति metre में न बदलें; दर ₹1,000 प्रति metre है।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

R&R मत्स्य, रेशम, कारीगर और विद्युत

राशि ₹ लाख में; प्रत्येक सेल में पूर्ण क्षति / गंभीर क्षति

मद / इकाई	15वाँ पूर्ण / गंभीर	16वाँ पूर्ण / गंभीर	पूर्ण दर में बदलाव
Fish pond: मैदान, प्रति ha	1.75 / 0.875	1.80 / 0.90	+2.9%
Fish pond: पहाड़, प्रति ha	1.75 / 0.875	1.80 / 0.90	+2.9%
Sericulture physical infrastructure	2.50 / 1.25	2.60 / 1.30	+4%
Artisan equipment / machinery	0.25 / —	0.26 / —	+4%
22 / 33 kV circuit breaker / switchgear	—	1.00 (संयुक्त दर) / —	नयी मद

Fish pond अधिकतम 1 ha। Switchgear/circuit breaker राज्य सरकार के स्वामित्व का हो; ₹1 लाख की दर तालिका में संयुक्त सेल में है।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

नई कवरेज और सीमित अपवाद

विषय	पहले की स्थिति	नया स्पष्ट प्रावधान
हीटवेव और आकाशीय बिजली	12 केंद्रीय आपदा सूची में अलग नाम नहीं	केंद्रीय 14 आपदाओं में शामिल
हीट-स्ट्रोक से अस्पताल में भर्ती	चोट की सामान्य मद	नई अस्पताल-भर्ती मद में स्पष्ट उल्लेख
Hygiene / dignity / school stationery	कपड़े और घरेलू सामान	लाभार्थी सामग्री विवरण विस्तृत
ITI, polytechnic, college	तत्काल राहत में बहिष्कृत; 2024 R&R में अलग दर नहीं	2026 R&R शिक्षा में ₹26 / ₹13 लाख
पशु-चिकित्सा अस्पताल	R&R में अलग सूचीबद्ध मद नहीं	₹15 / ₹8 लाख
22 / 33 kV circuit breaker / switchgear	सामान्य तत्काल बहाली 11 kV तक	राज्य-स्वामित्व में ₹1 लाख की R&R मद

एक निर्दिष्ट R&R अपवाद को पूरे क्षेत्र की असीमित पात्रता नहीं माना जा सकता।

MHA R&R 14.08.2024 और 26.10.2026; मूल दर-पत्र

अमान्य व्यय और कवरेज की सीमाएँ

01 वेतन, सामान्य कार्यालय/स्थापना व्यय तथा नियमित सरकारी कार्य आपदा निधि से नहीं।

02 NDRF से भूमि खरीद, पूरी तरह नयी असंबद्ध अवसंरचना, सौन्दर्यीकरण, सामान्य plantation/afforestation नहीं।

03 तत्काल Annexure-I में major/medium irrigation, NH, सामान्य HT प्रणाली और राजकीय/वाणिज्यिक भवन जैसी मदें बहिष्कृत हैं।

04 Annexure-II में स्पष्ट शिक्षा, embankment या switchgear मद हो तो केवल उसी अनुमन्य R&R सीमा में आकलन करें।

05 औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान की आग, विस्फोट और अज्ञात कारण की accidental fire से संपत्ति नुकसान को सामान्य पात्र अग्निकांड मानकर दावा न जोड़ें।

मानक से अधिक राज्य सहायता अलग राज्य बजट से दी जा सकती है; उसे SDRF/NDRF व्यय में न मिलाएँ।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

DBT, प्रमाणन और विशेष प्रावधान

01 व्यक्तिगत लाभार्थी सहायता अनिवार्यतः बैंक खाते में DBT से; PFMS/एकीकृत राज्य पोर्टल का उपयोग।

02 जहाँ संभव हो अनुग्रह, आवास और आजीविका सहायता परिवार की महिला/दिव्यांग सदस्य के खाते में।

03 पात्र लाभार्थी सूची, चिकित्सा/राजस्व प्रमाणन तथा नुकसान के स्थानीय साक्ष्य सुरक्षित रखें।

04 NDMIS में परियोजना/लाभार्थी/asset विवरण और geo-tagged फोटो; केवल फोटो को पात्रता प्रमाण का विकल्प न मानें।

05 COVID-19 मृत्यु की ₹50,000 विशेष मद अलग 2021 नियमों और de-notification/आगे के आदेश की शर्त के साथ है; इसे सामान्य ₹8 लाख मृत्यु मद के साथ न मिलाएँ।

कृषि, पशुधन, मत्स्य आदि में दूसरी योजना/बीमा से दोहराव की मद-विशिष्ट शर्तों का पालन करें।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

उत्तराखण्ड के लिए व्यावहारिक अर्थ

विषय	प्रावधान / गणना	प्रयोग
नियमित SDRF योगदान	90% केंद्र; 10% राज्य	समय से मैचिंग राज्यांश जमा करें
2026–27 आवंटन	₹797 करोड़; केंद्र ₹717.30, राज्य ₹79.70	निर्गमन/वास्तविक शेष से अलग रखें
स्थानीय आपदा सीमा	₹797 × 10% = ₹79.70 करोड़	SEC-अनुमोदित अधिसूचित आपदाओं में ही
NDRF R&R केंद्रीय सीमा	₹3,962.70 × 2 = ₹7,925.40 करोड़	पूरी award period सीमा; स्वतः अधिकार नहीं
NDRF R&R राज्यांश	NEH के लिए समान 10%	स्वीकृति अनुसार अलग राज्य बजट प्रावधान
सड़क-परिवहन R&R व्यय सीमा	NEH में वार्षिक SDRF आवंटन के 100% तक	केवल पात्र/स्वीकृत R&R; अन्य जरूरतें भी संतुलित हों

गंभीर आपदा में HLC सीमाओं में विशेष छूट दे सकता है। NDRF स्वीकृति हर मामले में निर्धारित प्रक्रिया से होगी।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

विभाग और जनपद स्तर की कार्यवाही

जिम्मेदारी	करने योग्य कार्य
विभाग / जनपद	स्वीकृत आवंटन, वास्तविक खर्च, शासन को समर्पण और शुद्ध उपलब्ध शेष का मिलान
क्षति आकलन टीम	आपदा, asset, इकाई, हानि प्रतिशत और पात्र लाभार्थी का सत्यापन
तकनीकी विभाग	SOR estimate, मूल मद-मानक, पूर्व राहत समायोजन और geo-tagged evidence
कोषागार / वित्त	PFMS mapping, MH 2245 तथा 8121 का मिलान और राज्यांश की जमा तिथि
USDMA / राज्य नोडल व्यवस्था	NDMIS डेटा की जाँच, समयबद्ध validation, memorandum और UC समेकन

यह कार्य-विभाजन का व्यावहारिक सुझाव है; अधिकृत NDMIS user-role तथा राज्य के आदेश के अनुरूप दायित्व तय करें।

MHA दिशा-निर्देश और मद-मानक; संबंधित अनुच्छेद/पृष्ठ Notes में

मूल दर-पत्र में ध्यान देने योग्य बिन्दु

बिन्दु	प्रस्तुति में अपनाया आधार
पुल की इकाई	2024 में प्रति पुल; 2026 में प्रति km। दोनों मूल इकाइयाँ दर्शायीं; सीधी वृद्धि नहीं निकाली।
पशु अस्पताल ₹15 / ₹8 लाख	गंभीर दर ₹8 लाख यथावत; उसे 50% मानकर ₹7.50 लाख नहीं किया।
आंशिक आवास क्षति	पुराने ≥15% का उल्लेख; नए पाठ में अनुपस्थिति स्पष्ट की, स्वतः हटना घोषित नहीं किया।
₹30,000 फसल-श्रेणी का दोहराव	5(i)(B) के बहुवर्षीय मद के साथ पढ़ने और स्पष्टता का संकेत।
पूर्ण / गंभीर R&R दरों का rounding	दस्तावेज़ की मुद्रित दरों को बनाए रखा; अनुमान से “सही” नहीं किया।

वास्तविक स्वीकृति/मांग से पहले अस्पष्ट मद की सक्षम प्राधिकारी से व्याख्या लें; स्रोत की इकाई और दर साथ पढ़ें।